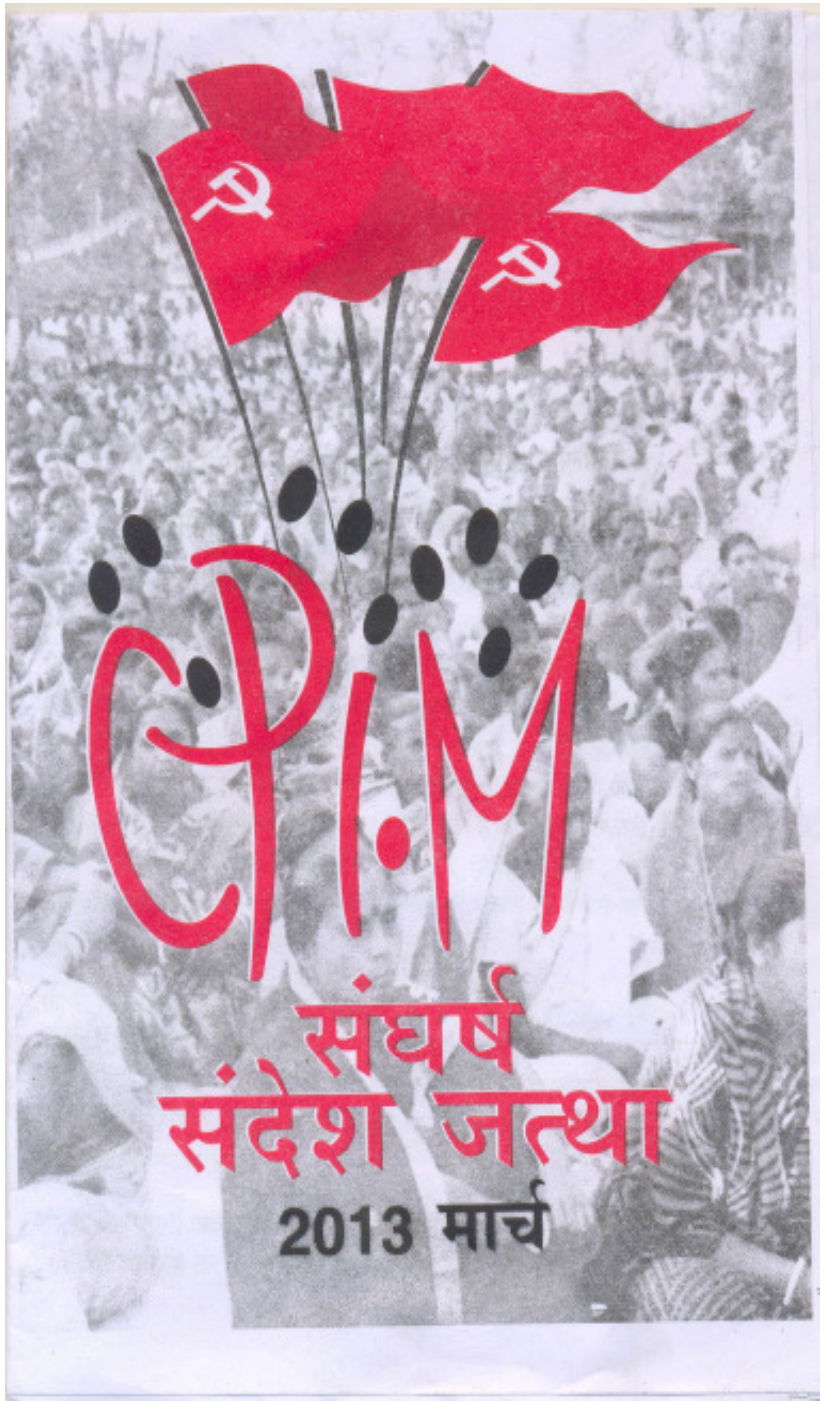
CPI(M)
संघर्ष
संदेश जत्था
2013 मार्च

★ वैकल्पिक नीतियों के लिए संघर्ष में शामिल हों।

★ अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष में शामिल हों।

★ सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में शामिल हों।

नए भारत के निर्माण के लिए
संघर्ष संदेश जत्था

सी पी आई (एम) का संघर्ष संदेश जत्था देशभर की बहनों और भाइयों का गर्मजोशी से अभिनंदन करता है।

इस जत्थे का उद्देश्य इस देश के अवाम की चिंताओं और उससे जुड़े मुद्दों को हल करने की दिशा में वैकल्पिक नीतियों के लिए संघर्ष का पैगाम देना है--उन किसानों, मज़दूरों को, जिनमें अधिकांश असंगठित क्षेत्र में हैं; दलितों को जो दमन के शिकार हैं और जो घृणास्पद जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव सहते हैं; आदिवासियों को जो गंभीर शोषण और उपेक्षा का सामना करते हैं; अल्संख्यकों को, जो सांप्रदायिक राजनीति और भेदभाव के शिकार बनते हैं; और उन महिलाओं को जिनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा सुलूक किया जाता है और जिन्हें नृशंस यौन हिंसा का निशाना बनाया जाता है। यह जत्था उन वैकल्पिक नीतियों के एजेंडे के लिए है जो मुनाफे को नहीं, बल्कि जनता को विकास-रणनीतियों के केंद्र में रखती हैं। यह जत्था सांप्रदायिक राजनीति के विरुद्ध कामकाजी जनता की एकता को बचाने और उसे मज़बूत करने के लिए है।

सी पी आइ (एम), कांग्रेस और भाजपा, द्वारा अपनायी जा रही नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों के सख्त खिलाफ है। ये नीतियां विदेशी कंपनियों समेत अमीरों को राहत परन्तु गरीबों को कष्ट देती हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ती हैं। इन नीतियों के कारण लाखों-करोड़ों रुपयों के अभूतपूर्व घोटाले हुए हैं।

सी पी आइ (एम) अर्थव्यवस्था के निर्णायक क्षेत्रों जैसे बैंक, बीमा, बिजली, रक्षा और शर्मनाक ढंग से स्वास्थ्य और शिक्षा को भी निजी कमाई के लिए

खोलने व निजी क्षेत्र को सौंपने का विरोध करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की बहुमूल्य संपत्तियों को विदेशी व देशी कारपोरेट घरानों को बेचना देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक है। देश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, लौह अयस्क इत्यादि को भी बड़ी खदान कंपनियों की लूट-खसोट के लिए खोला जा रहा है जबकि इन इलाकों के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। खुदरा क्षेत्र को भी वालमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के लिए खोला जा रहा है जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत लगभग 5 करोड़ भारतीयों की आजीविका को तबाह कर देगा।

इन नीतियों का सीधा असर अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई को और चौड़ा करने के रूप में दिखाई देता है।

भारत में खरबपतियों (वे जिनके पास 5000 करोड़ रुपये से अधिक की धन-दौलत है) की संख्या 2003 में कुल 13 थी जो मार्च, 2011 में 55 हो गई और अक्टूबर, 2012 में 61 हो गई। 2011 से 2012 की मात्र 1 वर्ष की अवधि में 100 सबसे अमीर भारतीयों की संयुक्त संपत्ति 12050 खरब रुपये से बढ़कर 12500 खरब रुपये हो गई। जबकि दूसरी ओर 86.3 करोड़ लोग मात्र 20 रुपये तक प्रतिदिन खर्च में गुजारा करते हैं।

कर्ज़ की वजह से हताशा में 1995 से लेकर अब तक 2.90 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है।

यह जत्था देश के राष्ट्रीय संसाधनों के इस्तेमाल में बराबरी की मांग के लिए संघर्षों में तेज़ी लाने के लिए है। हमारे अवाम की ज़रूरतों को प्राथमिकता देकर सामाजिक असमानताओं को खत्म करने के लिए इन संसाधनों का इस्तेमाल होना चाहिए।

यह संघर्ष संदेश जत्था अवाम के रहन-सहन के लिए निर्णायक मुद्दों को उठाने के लिए है।

ये मुद्दे हैं :-

खाद्यान्न का अधिकार
शिक्षा और रोज़गार का अधिकार
स्वास्थ्य सेवाओं और सस्ती दवाओं का अधिकार
आवासीय ज़मीन और भूमि सुधार का अधिकार
जाति, समुदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्त जीवन का अधिकार।

भूमि और आवासीय ज़मीन का अधिकार

एक अनुमान के अनुसार भारत में 2.1 करोड़ हेक्टेअर फालतू ज़मीन है जो भूमि सीमा से ऊपर गैर-कानूनी ढंग से हथियाई हुई है! परन्तु केवल 27 लाख हेक्टेअर ही अतिरिक्त घोषित की गई है और उसमें भी केवल 19 लाख हेक्टेअर वितरित की गई है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें सबसे बड़ा भाग पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा वितरित किया गया है। भारत में भूमिहीन किसान परिवारों की संख्या में स्तब्धकारी बढ़ोतरी हुई है जो कि 1992 में 22 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 41 प्रतिशत हो गई है।

भूमिहीनों को ज़मीन देने की बजाय और यह सुनिश्चित करने की बजाय कि हर परिवार को घर बनाने के लिए ज़मीन अवश्य मिले, केन्द्र सरकार कारपोरेट घरानों और बड़ी खदान कंपनियों की मदद के लिए जबरिया भूमि-अधिग्रहण को बढ़ावा दे रही है। सी पी आइ (एम) भूमि के जबरन अधिग्रहण के विरुद्ध संघर्षों का समर्थन करती है। वह आदिवासियों के विस्थापन का ज़ोरदार विरोध करती है। वह पांचवीं अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार कानून के तहत उन्हें दी गई सुरक्षा की संवैधानिक गारंटियों के उल्लंघन का विरोध करती है। सी पी आई (एम) मांग करती है कि भूमिहीनों को भूमि और घर बनाने के लिए ज़मीन वितरित की जाए। वह जबरिया भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध है और किसानों व आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए दृढ़संकल्प है। वह पूर्ण-मुआवज़े और

पुर्नवास के लिए संघर्ष करेगी और यह संघर्ष उन सभी किसानों के लिए ही नहीं होगा जो रज़ामंदी से अपनी भूमि देते हैं, बल्कि सभी बटाईदारों, खेतिहर मज़दूरों और उन सब के लिए भी होगा, जो अपनी आजीविका के लिए ज़मीन पर निर्भर हैं। सी पी आइ (एम) मांग करती है कि भारत में हर भूमिहीन परिवार को आवासीय ज़मीन वितरित की जाए।

भोजन का अधिकार

जिस देश में दुनिया की सबसे बड़ी कुपोषित आबादी रहती हो, भोजन का अधिकार निर्णायक और मूलभूत अधिकार है। यह शर्म की बात है कि विश्व भूख सूचकांक में भारत का स्थान 78 देशों में 65वां है जो कि नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे है। परन्तु केन्द्र सरकार बहुत ही अनुचित लक्षित प्रणाली को बनाए रखने पर अड़ी है जो कि गरीबों को ए पी एल और बी पी एल में बांट कर उन्हें भोजन के अधिकार से वंचित रखती है। सरकार के अनुसार ग्रामीण भारत में जो भी व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन से अधिक और शहरों में 32 रुपये प्रतिदिन से अधिक कमाता है, वह गरीब नहीं है और इस तरह सस्ते दामों पर खाद्यान्न पाने का हकदार नहीं है। यह तब, जबकि 1 जनवरी, 2013 को सरकारी गोदामों में 6.67 करोड़ टन खाद्यान्न पड़ा सड़ रहा था। इसे वितरित करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बावजूद, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने में सरकार बुरी तरह असफल रही है। ये कीमतें हर वर्ष सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण बढ़ी हैं। ये नीतियां हैं--कृषि वस्तुओं में वायदा-कारोबार के ज़रिये सट्टेबाज़ी की अनुमति देना; पैट्रोल, डीज़ल और कैरोसिन में सब्सिडी कम करके बार-बार उनकी कीमतें बढ़ाना इत्यादि। अब तो सब्सिडी वाले गैस सिलंडरों की संख्या में भी कटौती कर दी गई है और तीन-तीन बार उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। चावल, आटा, चीनी, खाने का तेल, दालों की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं।

जनमत के दबाव के कारण सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल तो तैयार किया है लेकिन उसमें यह आत्मघाती दोष यह है कि इसमें वही पुरानी लक्षित प्रणाली रखी गई है और इसमें एक ऐसा प्रावधान है जिसके अनुसार जो 35 किलो खाद्यान्न सभी बी पी एल कार्डधारकों को मिलता है, उसे कम करके 25 किलो कर दिया जाएगा। इस बिल में खाद्यान्न देने की बजाय नकदी भुगतान पर ज़ोर है। यह सरकारी खर्च कम करने का षड्यंत्र है। जो नकद भुगतान किया जाएगा, वह खाद्यान्न के बाज़ार मूल्य से कम होगा और इसीलिए 35 किलो खाद्यान्न की हकदारी में तेज़-गिरावट की जाएगी।

सी पी आइ (एम), खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाकर मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण की मांग करती है। वह मांग करती है कि नियमन व्यवस्था पुनः बहाल की जाए और पैट्रोल व डीज़ल की कीमतों में कमी की जाए।

वह मांग करती है कि एक सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा प्रणाली कायम की जाए, ए पी एल / बी पी एल व्यवस्था, जो कि गरीबी के धोखाधड़ीपूर्ण अनुमानों पर निर्धारित है, रद्द की जाए; अधिकतम दो रुपये किलो के दाम पर 35 किलो खाद्यान्न दिया जाए। सी पी आइ (एम), मांग करती है कि सरकार के पास मौजूद बड़ी मात्रा में खाद्यान्न भंडार को तुरंत वितरित किया जाए।

शिक्षा का अधिकार

हमारी जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 25 वर्ष से कम उम्र का है। इस तरह देश का भविष्य निर्णायक तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार हमारे नौजवान तबके की कितनी देखभाल करती है और उनके लिए विकास के कितने अवसर पैदा कर सकती है। परन्तु शिक्षा के अधिकार और रोज़गार के अवसरों के संदर्भ में सरकार का रिकार्ड शर्मनाक है।

सरकार ने शिक्षा के अधिकार का कानून 2009 में पारित किया था। अब तक तो हर बच्चे को स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन कानून को लागू करने

के लिए अधिक स्कूलों का निर्माण करना होगा और कम से कम 14 लाख अध्यापकों की नियुक्ति करनी होगी। परन्तु केंद्र सरकार ने आवश्यक फंड देने से मना कर दिया है और सब कुछ राज्यों के भरोसे छोड़ दिया है जो पहले से ही वित्तीय संकट में हैं। आज स्थिति यह है कि जितने बच्चे पहली कक्षा में दाखिला लेते हैं, उसका केवल 16 प्रतिशत हिस्सा ही 12वीं कक्षा तक पहुंच पाता है, अधिकांश आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्थिति और भी बदतर है। उनकी छात्रवृत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हॉस्टलों की हालत निराशाजनक है, इसलिए इनके छात्र जल्दी स्कूल छोड़ जाते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का रिकार्ड शर्मनाक है। 12वीं शिक्षा पास करने वाले 100 छात्रों में 90 छात्र कॉलेज नहीं जा पाते हैं। उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की बजाय सरकार चाहती है कि इसे और अधिक संभ्रांत वर्गों तक ही सीमित कर दिया जाए। वह निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है ताकि वह शिक्षा को शुद्ध लाभ का ज़रिया मान कर इसमें प्रभुत्वकारी भूमिका निभाए। एफ डी आई और कारपोरेट घरानों को उच्च शिक्षा में प्रवेश की इजाज़त देने और केंद्र सरकार के निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, 6 बिल संसद में लंबित हैं।

सी पी आई (एम) मांग करती है कि शिक्षा के लिए वर्तमान आवंटन, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है, बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया जाए। वह मांग करती है कि शिक्षा के अधिकार के कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एफ डी आई और कारपोरेट घरानों की घुसपैठ का विरोध करती है।

रोज़गार का अधिकार

सरकार आर्थिक वृद्धि का ढोल तो पीटती है परन्तु यह वृद्धि रोज़गार पैदा नहीं करती है।

यह वृद्धि रोज़गार पैदा करना तो दूर, कुछ मामलों में रोज़गार छीनती भी है।

उदाहरण के तौर पर, 1998 में, संगठित क्षेत्र में 2.82 करोड़ लोग कार्यरत थे। परन्तु यह संख्या 2008 में घटकर 2.75 करोड़ रह गई यानी 7 लाख रोज़गार कम हो गए।

2000-2005 में रोज़गार की वार्षिक वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत थी जो कि 2005-2010 में घटकर 0.8 प्रतिशत रह गई। युवाओं के लिए और विशेषकर युवतियों के लिए बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा है।

फिर भी, केंद्र सरकार के विभागों में 10 लाख रिक्त स्थान हैं। रेलवे में तो 2.2 लाख पद रिक्त हैं। इनमें आधे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा ओ बी सी के लिए हैं। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार ने भर्ती पर लगभग प्रतिबंध लगा रखा है।

इसके साथ ही, जो काम दिए भी जा रहे हैं, वे ठेका और दिहाड़ी पर करने वाले हैं, जहां नौकरी, वेतन या अन्य लाभों की कोई गारण्टी नहीं है। निजी क्षेत्र की इकाइयों में ठेका मज़दूरों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक है और सार्वजनिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत लोगों को ठेके पर काम करना पड़ता है। इस तरह कुल 5 करोड़ मज़दूर हैं जिन्हें बहुत भयानक कार्य-स्थितियों में, बिना किसी अधिकार के, काम करना पड़ रहा है।

रोज़गार के क्षेत्र में, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष तौर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है जिन्हें बहुत कम नौकरियां - सार्वजनिक क्षेत्र हो या सरकारी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें- मिल पाई हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में, सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना में फंड की कटौती करके उसे कमज़ोर कर रही है। पिछले बजट में, यह रहस्य खुला था कि नरेगा में खर्च करने के लिए निर्धारित राशि खर्च ही नहीं की गई। कानून 100 दिनों के काम की गारंटी देता है, जबकि वास्तव में काम के दिनों की औसत संख्या इससे आधी भी नहीं बैठती है। सी पी आइ (एम) मांग करती है कि भर्ती पर प्रतिबंध हटाया जाए और नई भर्ती के लिए प्रक्रिया की

शुरूआत की जाए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए पिछले तमाम रिक्त स्थानों को भी भरा जाए। यह मांग करती है कि शहरी रोज़गार गारंटी योजना बनायी जाए, जिसमें न्यूनतम वेतन का प्रावधान हो और एक-तिहाई नौकरियां महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी जाएं। वह मांग करती है कि मुसलमानों को आरक्षण देने संबंधी रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। वह मांग करती है कि नरेगा के कार्यक्षेत्र के दायरे को बढ़ाया जाए और 100 दिनों की सीमा को खत्म किया जाए, साथ में न्यूनतम वेतन की गारंटी भी हो।

स्वास्थ्य और सस्ती दवाओं का अधिकार

भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की निजी क्षेत्र पर निर्भरता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, वे चाहे डाक्टर हों, अस्पताल, क्लीनिक हों या औषधि उद्योग हो। परन्तु जनता के खराब स्वास्थ्य से जो लोग अंधाधुंध लाभ कमा रहे हैं उस पर नियंत्रण के लिए कोई नियम-कानून नहीं हैं। पिछले 20 वर्षों की नव-उदारवादी नीतियों के चलते स्वास्थ्य संबंधी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए सबसे लाभकारी उद्योगों में से एक बन गया है। दूसरी ओर, यह अनुमान है कि हमारे यहां परिवार जिन कारणों से ऋण लेते हैं, उनमें दूसरा सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य पर खर्चा है, जिससे कई लाख परिवार गरीबी के दलदल में धंस जाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी थीं। वह अपने उद्देश्य से कोसों दूर है। और सरकार स्वयं ही इस काम में अड़ंगा डाल रही है। जन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए था। प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों को मजबूत किया जाना चाहिए था। वे जनता की पहुंच में होने चाहिए थे। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा करने की बजाय उनको आवश्यक धन प्रदान करने से ही इंकार कर दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 5 प्रतिशत सार्वजनिक खर्च का वायदा किया था और खर्च मात्र 1 प्रतिशत किया जा रहा है। उल्टे

सरकार स्वास्थ्य बीमा मॉडल पर जोर लगा रही है जिसका दायरा बहुत ही सीमित है क्योंकि ये अधिकांश योजनाएं निजी अस्पतालों और डाक्टरों पर निर्भर हैं। इस प्रकार जनता के धन को सीमित बीमा नीतियों के जरिए निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। इन सीमित बीमा नीतियों में गरीबों के स्वास्थ्य खर्च शामिल नहीं होते क्योंकि यह आम तौर पर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के खर्चों तक ही सीमित है।

आज भारत में बुनियादी सेवाओं की कमी है जिसके कारण बड़ी संख्या में मौतें होती हैं, जिनसे बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए :-

★ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण बच्चे को जन्म देते हुए हर 10 मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है।

★ बीमारी या कुपोषण के कारण हर घंटे 5 साल से कम आयु के 218 शिशुओं और बच्चों की मौत हो जाती है।

मलेरिया की बीमारी के कारण हजारों लोगों की मौत हो जाती है; स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है--खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में और उत्तर पूर्व में भी। पीने के साफ पानी और सफाई सुविधाओं की कमी के कारण जल-जनित बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है।

किंतु आज जनगणना में दिए गए 33 करोड़ घरों में से--

57 प्रतिशत के पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं है;
39 प्रतिशत के पास रसोई घर नहीं है;
53 प्रतिशत के पास शौचालय की सुविधा नहीं है।

इस प्रकार स्वास्थ्य का अधिकार पीने के स्वच्छ पानी और सफाई सुविधाओं के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है।

आवश्यक दवाओं के दामों में भारी वृद्धि हुई है। यह मुख्य रूप से इस कारण है कि तमाम दवा उद्योग बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निगमों के नियंत्रण

में है--पांच सबसे बड़ी दवा कम्पनियों में से तीन बहुराष्ट्रीय निगम हैं जो भारी लाभ कमाते हैं। केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं के दामों को नियंत्रित करने के बजाय कंपनी समर्थक नीति के पक्ष में निर्णय लिया है।

सी पी आइ (एम) स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की मांग करती है; वह निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के सख्त नियमन की मांग करती है; वह आवश्यक दवाओं के दामों पर नियंत्रण की मांग करती है। हमारी जनता की जीवन स्थितियों में सुधार ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी हैं।

सामाजिक न्याय के लिए

सी पी आइ (एम) अपने इस संघर्ष संदेश जत्था के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय के मंच का समर्थन करने के लिए पूरी जनता का आह्वान करती है। समाज के इन तबकों के विकास के बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता है--ये तबके मजदूरों और किसानों के बुनियादी वर्गों की रीढ़ हैं और आर्थिक शोषण, जिसकी तमाम मेहनतकश जनता शिकार है, के अलावा सामाजिक शोषण का अतिरिक्त बोझ भी उन्हें झेलना पड़ रहा है।

महिलाएं आम तौर पर और मेहनतकश गरीबों की महिलाएं खास तौर पर अत्यधिक नृशंस यौन हमलों का निशाना बनती हैं। यह संघर्ष जत्था समानता के लिए और भेदभाव तथा हिंसा से मुक्ति के लिए महिलाओं के संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है।

आर एस एस-भाजपा के नेतृत्व में सांप्रदायिक ताकतों की अपने संकीर्ण सांप्रदायिक एजेंडा को लादने, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने की कोशिशों का सख्त प्रतिरोध किया जाना चाहिए और सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ

सरकार की नीतियों ने भ्रष्ट नेताओं, अफसरों और निगमों के बीच एक गठजोड़ विकसित करने में मदद की है। भ्रष्टाचार के कारण लाखों करोड़ रुपये की लूट हुई है। सिर्फ 2- जी टेलीकॉम घोटाले और कोयला घोटाले से ही देश के खजाने को लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह नुकसान कॉमनवेल्थ खेल, भूमि और खदान घोटालों आदि में हुए नुकसान के अलावा है। इनमें से अनेक खदान घोटाले भाजपा शासित राज्यों जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड में हुए हैं।

यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले दशक में 5.7 लाख करोड़ रुपये की राशि को तस्करी करके देश से बाहर ले जाया गया है। यह धन जनता का है जिसे कर चोरों और काला धन रखने वालों ने स्विस और दूसरे विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है। लेकिन सरकार न तो काले धन को वापस लाई है और न ही उसने अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है।

अमीरों पर कर बकायों की भारी राशियां जमा हो गई हैं।

देश में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। लेकिन सरकार ने एक मजबूत लोकपाल विधेयक पारित करने से इंकार कर दिया है। सरकारी विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि नियंत्रण सरकार के ही हाथों में रहे। यह देश की जनता के हितों के विरुद्ध है। यह जत्था भ्रष्टाचार के खात्मे और एक मजबूत लोकपाल कानून बनाने की मांग करता है।

साथ ही भ्रष्टाचार ने हमारे देश में लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को क्षति पहुंचाई है। चुनावों में भारी काला धन खर्च किया जाता है जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजाक बना दिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए अत्यधिक जरूरी चीज है, धन शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव सुधार करना।

आगे का रास्ता

सरकार ने जनता को राहत देने की मांगों को मानने से यह कहकर इंकार कर दिया है कि उसके पास कोई धन नहीं है। यह एकदम झूठ है। सरकार अमीरों को रियायतें देने को तो प्राथमिकता दे रही है और गरीबों के लिए लाभों में कटौती कर रही है। 2009 से लगाकर 20 लाख करोड़ रुपये की कर छूट दी गई हैं जिनका मुख्य रूप से अमीरों को लाभ हुआ है।

देश में संसाधनों की कमी नहीं है।

इन संसाधनों का उपयोग अमीरों के पक्ष में किया जाता है जिससे जनता अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हो जाती है।

हम यह मांग करते हैं कि अमीरों को दी जा रही कर रियायतें बंद की जाएं, भ्रष्ट लोगों को दंडित किया जाए और उनसे नुकसान की वसूली की जाए। विदेशी बैंकों में जमा धन को वापस लाया जाए।

इस धन का उपयोग देश की जनता के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाए।

उपसंहार

देश के चारों कोनों से चार संघर्ष संदेश जत्थे चल रहे हैं जो लगभग सभी राज्यों से होकर गुजरेंगे और देश के गांवों और नगरों से छोटे-छोटे जत्थे इनमें आकर मिलेंगे।

इन जत्थों का दिल्ली में महासंगम होगा जहां 19 मार्च को वे एक महारैली का रूप लेंगे।

ये जत्थे जनता के बुनियादी अधिकारों के लिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के लिए और कांग्रेस तथा भाजपा, दोनों द्वारा अपनाई जा रही विनाशकारी आर्थिक नीतियों को उलटने की मांग पर, जनता की एकता के प्रतीक हैं।

फौरी मांगें :

भूमि और घर के लिए जमीन का अधिकार : फालतू भूमि को भूमिहीनों में बांटकर भूमि सुधार नीतियों को लागू करो। प्रत्येक भूमिहीन परिवार को घर के लिए जमीन की गारंटी प्रदान करो।

भोजन का अधिकार : अधिकतम दो रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो खाद्यान्न का सार्वभौम अधिकार। धोखाधड़ीपूर्ण गरीबी गणनाओं पर आधारित ए पी एल/बी पी एल को खत्म करो।

शिक्षा और स्वास्थ्य : शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण बंद करो। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटन बढ़ाओ। शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने की गारंटी करो। स्वास्थ्य में जन सेवाओं को मजबूत करो और निजी क्षेत्र का सख्त नियमन सुनिश्चित करो।

रोजगार का अधिकार : रोजगार पैदा करने के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाओ। भर्ती पर लगे प्रतिबंध हटाओ और सभी रिक्तियों को, खास तौर से एस सी/एस टी/ओ बी सी की पिछली बकाया रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरना सुनिश्चित करो। नरेगा के तहत काम के दिनों में वृद्धि करो और मूल्य सूचकांक से जुड़े न्यूनतम वेतन अदा करो। और इसका विस्तार शहरी भारत में काम के दिनों की गारंटी के साथ करो।

भ्रष्टाचार खत्म करो : जांच के स्वतंत्र अधिकारों के साथ लोकपाल कानून पारित करो। विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाओ। इसके लिए जिम्मेदार नैगम घरानों से नुकसान की भरपाई करो। भ्रष्टों को जेल भेजो।

हम आप सभी से अपील करते हैं कि :

★ वैकल्पिक नीतियों के लिए संघर्ष में शामिल हों।
★ अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष में शामिल हों।
★ सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में शामिल हों।

संघर्ष संदेश जत्था

(फरवरी-मार्च, 2013)

19 मार्च को दिल्ली चलो

जत्था 1 : कन्याकुमारी से दिल्ली - 24 फरवरी से आरंभ
जत्था 2 : कोलकाता से दिल्ली - 1 मार्च से आरंभ
जत्था 3 : मुंबई से दिल्ली - 8 मार्च से आरंभ
जत्था 4 : अमृतसर से दिल्ली - 4 मार्च से आरंभ

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लिए हरि सिंह कांग द्वारा ए के गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, जी टी रोड शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित